



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता मे पंजीकृत चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 16 माह का साधारण कारावास व कुल 3,500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-184/2023 धारा 379,411,413 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 जहांगीर खां पुत्र अनवर खां निवासी बलबद्रा थाना नवादा जनपद भोजपुर आरा बिहार को थानाध्यक्ष लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-06.05.2025 को माननीय न्यायालय ADJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मो0 जहांगीर खां उपरोक्त को अंतर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से, धारा 411 भा0द0वि0 में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 413 भा0द0वि0 में 16 माह के साधारण कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।